

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी श्री प्रभात त्रिपाठी)

आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 27/2022

1. श्रीमति सूरता पत्नि बंटीलाल जाति भील निवासी प्रतापपुरा (करांटी) तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थी

उपस्थित:- श्री सांवरलाल चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीया
पैरोकार सरकार

निर्णय अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 15.02.23

प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम बान्दनवाडा पटवार हल्का बान्दनवाडा, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बान्दनवाडा तहसील भिनाय स्थित खातेदारी भूमि खसरा नं. 2827 रकबा 0.49, 2834 रकबा 0.18, 2839 रकबा 0.12, 2842 रकबा 0.15, 2843 रकबा 0.09, 2857 रकबा 0.31, 3337 रकबा 0.10, 3338 रकबा 0.32 किता-8 कुल रकबा 1.76 हैं। प्रार्थीया की खातेदारी आराजीयात है। प्रार्थीया की खातेदारी आराजी में आने-जाने, कृषि उपकरण व प्राप्त उपज फसल को लाने-ले जाने हेतु सिवायचक भूमि खसरा नं. 6751/6694 का वर्षों से उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे हैं जिस कारण उक्त आराजी पर प्रार्थी को सुखाधिकार के अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। प्रार्थी की भूमि पर आने-जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात से 30 फीट चौड़ा रास्ता नियानुसार शुल्क पर दिलवाने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी सं. 1 को प्रकरण प्रेषित कर जवाब मय मौका रिपोर्ट तलब की गई। पैरोकार सरकार ने जवाब मय रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें सिवायचक खसरा भूमि 6751/6694 में से प्रार्थीया को रास्ता तहसीलदार भिनाय द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। जिस संबंध में प्रार्थीया ने भी सहमति प्रदान की। तत्पश्चात पैरोकार सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है कि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि 2834 व 2857 में जाने हेतु रास्ता खसरा नं. 6751/6694 में से होकर ही जाता है खसरा नं. 6751/6694 डी.एल.सी. दर 390125/- रु. प्रति हैक्टेयर बताई गई है। चूंकि तहसीलदार भिनाय ने अपने




उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

प्रतिवेदन में अवगत कराया है कि यह रास्ता पुश्तैनी चला आ रहा है इसलिए निर्धारित नियमानुसार रास्ते हेतु आरक्षित की जाने वाली भूमि की डबल कोस्ट कायम करना ही उपयुक्त एवं न्यायोचित पाया जाता है। अतः खसरा नं. 6751/6694 में से 960 वर्ग मीटर (120 मीटर लम्बा व 8 मीटर चौड़ा) भूमि रास्ते हेतु आरक्षित भूमि 39.012 रु. प्रति वर्ग मीटर राशि 74904/-रु. मुकर्रर की जाती हैं। प्रार्थीया द्वारा राशि राजकोष में जमा कराई जावे। प्रार्थीया सूरता पत्नि बंटीलाल जाति भील खातेदार के लिए ग्राम बान्दनवाडा पटवार हल्का बान्दनवाडा, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बान्दनवाडा तहसील भिनाय स्थित सिवायचक भूमि खसरा नं. 6751/6694 में से 960 वर्ग मीटर भूमि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि खसरा नं. 2857 तक रास्ता/मार्गाधिकार कायम किये जाने के आदेश पारित किए जाते हैं तथा तहसीलदार भिनाय को उनके राजस्व नक्शों में दर्शित रास्ते की यथानुसार तरमीम कर इन खसरा नं. का बट्टा नंबर कायम कर खाते सरकार किस्म रास्ते से लगाने के आदेश पारित किए जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 15.02.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।




(प्रभात त्रिपाठी)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)